राजस्व वाद 52/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/113
चेनाराम बनाम् सोहनराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 52/2021

वादीगण–

1. मनोहर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
2. पप्पू सिंह पुत्र अर्जुन सिंह

जाति–राजपूत, निवासी जालनियासर, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अर्जुन सिंह पुत्र नन्द सिंह
2. सोहन कंवर पुत्री अर्जुन सिंह
3. किरण कवंर पुत्री अर्जुन सिंह

जाति–राजपूत, निवासी जालनियासर, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मंडा वादीगण की ओर से
2. श्री शिव प्रकाश सिंवर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री शिवप्रकाश सिंवर व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जालनियासर तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 157, 863/157 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त 28 जरिये दिनांक 06.12.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मनोहर सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जालनियासर का खेत खसरा नंबर 157 रकबा 8.9112 हैक्टेयर में से 2.9407 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी पप्पूसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जालनियासर का खेत खसरा नंबर 157 रकबा 8.9112 हैक्टेयर में से 1.4703 हैक्टेयर व इसी खसरे में से 1.4704 हैक्टैयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

20/12/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

3. प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जालनियासर का खेत खसरा नंबर 863/157 गैर मुमकिन रास्ता पूरा, खेत खसरा नंबर 157 रकबा 8.9112 हैक्टेयर में से 1.4703 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार व इसी खसरे में से 1.4704 हैक्टैयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जालनियासर का खेत खसरा नंबर 157 रकबा 8.9112 हैक्टेयर में से 0.891 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखी गई है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सोहन कंवर एवं किरण कंवर के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

नोट–: प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

20/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner